राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	288/2015 गोपाल बनाम शंकरलाल 262/2015 मोहन बनाम शंकरलाल 227/2015 हुसमान बनाम शंकरलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01/06/2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 288/2015, 227/2015 एवं 262/2015 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो।	
17/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 199 वाकै ग्राम सरना डूंगर तहसील व जिला जयपुर के प्रार्थीगण रिकार्डेड काबिज सहकृषक है। उक्त खसरा नंबर के अलावा प्रार्थीगण के कब्जे खाते की आराजी उक्त खसरा नंबर के नजदीक है जिसमे प्रार्थीगण अपने परिवार सहित रहवास भी करते है इस जगह को सूठियो-पतालियो की ढाणी के नाम से जाना जाता है। आम रास्ता बोयतावाला क्षेत्र मे फील्ड फायरिंग रेंज की दीवार लग जाने के कारण बंद हो गया है। प्रार्थीगण व उसके परिवार जन रूठियो-पतालियो की ढाणी के निवासीयो को खसरा नंबर 186 (सहकृषक अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6, 2 ला 4) मे चिन्हित रास्ते मे जाने के लिये खसरा नंबर 198 (सहकृषक अप्रार्थी संख्या 14 ला 19), खसरा नंबर 190 (सहकृषक अप्रार्थी संख्या 8/1, 9, 11/1 से 11/4, 12, 13/1 से 13/2 व 21), खसरा नंबर 189 (सहकृषक अप्रार्थी संख्या 5 ला 7) मे से करीब एक फीट की पगडंडी से होकर ही जाना पडता है जिसे भी कई बार अप्रार्थीगण द्वारा पत्थर रखकर बंद करने का प्रयास किया जाता रहा है। हाल ही में अप्रार्थीगण ने पगडंडी उक्त पर वायर फेर्नसंग कर बिजली का करंट चालू कर दिया है जिससे खसरा नंबर 186 मे चिन्हित रास्ते मे जाने के लिये खसरा नंबर 199 के रिकार्डेड काबिज सहकृषक प्रार्थीगण को व परिवार जन को वर्तमान मे खेती करने आने-जाने के लिये, वृद्धजनो को अस्पताल ले जाने के लिये, बच्चो को स्कूल आने-जाने के लिये काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नंबर 199 में आने जाने के लिये कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड मे कटा हुआ नहीं है और न ही कोई रास्ता चालू है। पगडंडी उक्त व फील्ड फायरिंग रेंज की दीवार के सहारे सहारे अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 198, खसरा नंबर 190, खसरा नंबर 189 में से 10 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण व आमजन को दिया जाना आवश्यक है और यही चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण की खाते कब्जे की आराजी मे आने जाने	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	288/2015 गोपाल बनाम शंकरलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 262/15 मोहन बनाम शंकरलाल 227/2015 हनुमान बनाम शंकरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के लिये नजदीकी रास्ता रहेगा जिसे कायम कराने के लिये प्रार्थीगण इस प्रार्थनापत्र के जरिये माननीय न्यायालय से निवेदन कर रहे है। कायम किये जाने वाले रास्ते के लिये प्रार्थीगण विधि अनुसार प्रतिकर अदा करने को तैयार है एवं प्रार्थीगण भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बमंजूरे प्रार्थनापत्र खसरा नंबर 199 के सहकृषक प्रार्थीगण व उसके परिवार जन सूठियो-पतालिया की ढाणी के निवासीयो को पगडंडी उक्त व फील्ड फायरिंग रेंज की दीवार के सहारे सहारे अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 198, खसरा नंबर 190, खसरा नंबर 189 में से 10 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र दज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6 व 7 के अलावा अन्य अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6 व 7 को जवाब का अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही किये जाने पर उनका जवाब बन्द कर दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस समायत कर निर्णय दिनांक 01/06/2016 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी गोपाल द्वारा अपील संख्या 228/20 5, हनुमान सहाय द्वारा अपील संख्या 227/2015 एवं मोहन द्वारा अपील संख्या 262/2015 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार की समुचित तामील करवाये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है जबकी विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये सभी पक्षकारान की समुचित तामील करवाते हुये उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना कानूनन अनिवार्य था | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी होना जाहिर होता है |

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	288/2015 गोपाल बनाम शंकरलाल 262/2015 मोहन बनाम शंकरलाल 227/2015 हनुमान बनाम शंकरलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01/06/2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारान की विधिक प्रावधानों के अनुसार तामील करवाया जाना सुनिश्चित कर उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपीले क्रमश: 288/2015, 227/2015 एवं 262/2015 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |